अनुदान संख्या 81 - लोक सभा
GRANT No. 81 - LOK SABHA

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*1,56,00*	*52,35*	*-1,03,65*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1,03,61*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	781,21,00			
			791,21,00	670,11,80	-121,09,20
पूरक	Supplementary	10,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				120,20,76
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		79,23,00	25,81,99	-53,41,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				53,00,28

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹12109.20 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹1000.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

Notes and comments

1. In the voted portion of revenue section of the grant, the overall savings (₹12109.20 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1000.00 lakhs obtained in December, 2024 and constituted 15 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2011”	Major Head “2011”				
संसद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	Parliament, State/Union Territory Legislatures				
मू.	O.	78121.00			
पू.	S.	1000.00	67100.24	67011.80	-88.44
पु.	R.	-12020.76			

(I) ₹40.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹40.00 lakhs remained unutilized under one head.

(II) “संसद – लोक सभा सचिवालय – सचिवालय” के अंतर्गत ₹46375.35 लाख के मूल प्रावधान को ₹1000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹47375.35 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹2552.98 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरने, डिजिटल संसद परियोजना (डीएसपी) के अंतर्गत एजेंसी से दावे प्राप्त न होने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन, कम एलटीसी और चिकित्सा दावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(II) Under “Parliament - Lok Sabha Secretariat - Secretariat” - the original provision of ₹46375.35 lakhs was augmented to ₹47375.35 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹1000.00 lakhs. However, there was saving of ₹2552.98 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of claims from agency under Digital Sansad Project (DSP), conduction of less training programmes, receipt of less LTC and medical claims.

(III) “संसद – लोकसभा – सदस्य” के अंतर्गत ₹8451.39 लाख की बचत (₹29277.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, एनडीएमसी से दावों की प्राप्ति न होने, रेलवे के डेबिट दावों का प्रसंस्करण न करने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(III) Under “Parliament - Lok Sabha - Members” - saving of ₹8451.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29277.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of claims from NDMC, non-processing of debit claims from Railways and less tours under taken.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹816.32 लाख की बचत हुई, जिनमें से प्रत्येक ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 71 प्रतिशत और 92 प्रतिशत तक थी।

(IV) Under two heads savings of ₹816.32 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 71 percent and 92 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:–

2. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4075"	Major Head "4075"				
विविध सामान्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Miscellaneous General Services				
मू.	O.	7923.00	2622.72	2581.99	-40.73
पु.	R.	-5300.28			

(I) "निदेशन एवं प्रशासन – सचिवालय–सामान्य सेवाएं" के अंतर्गत ₹5341.01 लाख की बचत (₹7923.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नेटवर्किंग उपकरणों और कंप्यूटरों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Direction and Administration - Secretariat - General Services" - saving of ₹5341.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7923.00 lakhs) was due to non-procurement of networking devices and computers by Central Public Work Department (CPWD).